

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छ.ग.

ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के 43 पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन पश्चात् अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण संबंध में गठित चयन समिति के बैठक में लिये गये निर्णय/अनुशंसा

क.	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	दावा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	निराकरण विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशंसा	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AN2020004574	बिन्दु श्रीवास	श्री गणेश	दिनांक 13.10.2020 को प्रकाशित सूचना में आवेदकों को केवल प्राप्तांक/पूर्णांक में सुधार हेतु 13.10.2020 से 19.10.2020 तक दावा आपत्ति करने की निर्धारित समय अवधि दिया गया था। दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् अंतिम मेरिट सूची में स.क्र. 4,5,28,30,31 में पूर्णांक 700 एवं स.क्र. 11 में 600 पूर्णांक अंकित है चुकी निर्धारित समयवधि में पूर्णांक/प्राप्तांक का अंक दर्ज नहीं करवाया गया था सूचना क्रमांक 7240 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रहा है। नियमानुसार 700 और 600 पूर्णांक वाले अभ्यर्थी अपात्र के श्रेणी में आर्येंगे।	आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ अंकसूची अपलोड नहीं की गई थी, इसलिये अंकों की पुष्टि नहीं की जा सकी थी तथा मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था।	अमान्य	
2	AN2020004574	बिन्दु श्रीवास	श्री गणेश	दस्तावेज सत्यापन पश्चात् जारी पात्र अपात्र सूची में स.क्र. 3,11,14,29,31 में कुल पूर्णांक 1400 दर्ज है, जबकि दावा आपत्ति पश्चात् जारी अंतिम मेरिट सूची में निर्धारित समयवधि पर आवेदकों द्वारा पूर्णांक/प्राप्तांक में सुधार हेतु दावा आपत्ति नहीं किया गया था। जो की भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार नहीं है अतः यह संशय का विषय है।	आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ अंकसूची अपलोड नहीं की गई थी, इसलिये अंकों की पुष्टि नहीं की जा सकी थी तथा मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था।	अमान्य	
3	AN2020001427	सुशीला सिंह	गुलाब सिंह	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला (ANM) का दिनांक 13.10.2020 को अंतिम सूची प्रकाशन कर दिनांक 13.10.2020 से दिनांक 19.10.2020 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक केवल अंकों के सुधार हेतु दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था, जिसमें 35 आवेदक दावा आपत्ति किये थे, आवेदक प्रियंका तिग्गा पिता/पति रितेश तिकी जिसका आवेदन क्रमांक AN2020004712 जिसका दस्तावेज सत्यापन के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में सरल क 10 में अंकित है। जिनका मेरिट सूची में ANM की द्वितीय वर्ष की पूर्णांक 700 के आधार अंक दिया गया है, जबकि सभी आवेदकों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंक 1400 पूर्णांक के आधार पर अंक प्रदान किया गया है, अतः आवेदक प्रियंका तिग्गा पिता/पति रितेश तिकी के द्वारा अंक सुधार के लिये दावा आपत्ति नहीं किया गया था, अतः प्रियंका तिग्गा पिता/पति रितेश तिकी को अपात्र किया जावे।	आवेदक प्रियंका तिग्गा पिता/पति रितेश तिकी के द्वारा MID INDIA BOARD OF EDUCATION OF NURSES LEAGUE OF THE C.M.A.L. NAGPUR से अपनी ए.एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया गया है जहां ए.एन.एम. प्रशिक्षण प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का कुल प्राप्तांक 700 ही अंकसूची में उल्लेखित किया गया है तथा उक्त आवेदिका का पंजीयन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी किया गया है।	अमान्य	
4	AN2020001427	सुशीला सिंह	गुलाब सिंह	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला (ANM) का दिनांक 13.10.2020 को अंतिम सूची प्रकाशन कर दिनांक 13.10.2020 से दिनांक 19.10.2020 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक केवल अंकों के सुधार हेतु दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था, जिसमें 35 आवेदक दावा आपत्ति किये थे, आवेदक प्रियंका तिग्गा पिता/पति रितेश तिकी जिसका आवेदन क्रमांक AN2020004712 जिसका दस्तावेज सत्यापन के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में सरल क 10 में अंकित है। जिनका मेरिट सूची में ANM की द्वितीय वर्ष की पूर्णांक 700 के आधार अंक दिया गया है, जबकि सभी आवेदकों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंक 1400 पूर्णांक के आधार पर अंक प्रदान किया गया है, अतः आवेदक प्रियंका तिग्गा पिता/पति रितेश तिकी के द्वारा अंक सुधार के लिये दावा आपत्ति नहीं किया गया था, अतः प्रियंका तिग्गा पिता/पति रितेश तिकी को अपात्र किया जावे।	आवेदक प्रियंका तिग्गा पिता/पति रितेश तिकी के द्वारा MID INDIA BOARD OF EDUCATION OF NURSES LEAGUE OF THE C.M.A.L. NAGPUR से अपनी ए.एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया गया है जहां ए.एन.एम. प्रशिक्षण प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का कुल प्राप्तांक 700 ही अंकसूची में उल्लेखित किया गया है तथा उक्त आवेदिका का पंजीयन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी किया गया है।	अमान्य	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

5	AN2020006395	शकुन्ती बाई कंचर	सुन्दर सिंह	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी के आदेश क. स्वा./2020/9243 दिनांक 12.01.2021 के संदर्भ में दावा आपत्ति हेतु मागी गई दस्तावेज की कापी संलग्न की गई है।	आवेदिका के कोविड-19 पॉजिटिव आ जाने के कारण दिनांक 18.11.2020 को दस्तावेज सत्यापन में उपस्थिति हेतु अपने भाई को भेजा गया था तथा आवेदन में 17 दिवस की अवधि पूर्ण होने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन कराऊंगी का लेख किया गया था, परन्तु पात्र/अपात्र की सूची प्रकाशित होने के दिनांक 22.12.2020 तक संबंधित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुई।	अमान्य
6	AN2020007887	तिरुणी कश्यप	श्री महावीर कश्यप	1. विज्ञापन के कंडिका नियम व शर्तों क 5 में स्पष्ट उल्लेखित है कि छ.ग. चैरामेडिकल कौंसिल के जीवित पंजीयन, आवेदन के निर्धारित अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है, किन्तु निवास के संबंध में विज्ञापन के नोट क. 5 अथवा किसी कंडिका में इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 2. विज्ञापन के शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा कार्यानुभव तथा स्थानीय निवासी एवं अन्य समस्त शर्तों के अनुसार मेरी पात्रता आवेदित पद (ए.एन.एम.) हेतु पूर्ण है। मैं छ.ग. राज्य की मूल निवासी हूँ इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया है जो विज्ञापन दिनांक के निर्देश एवं शर्तों के कंडिका 6 का पालन है। मैं विज्ञापन दिनांक के पूर्व ही छ.ग. (कोरबा जिला) की मूल निवासी हूँ जो कि मेरे प्रमाण पत्र से सिद्ध होता है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वस्तु स्थिति अनुसार प्रमाण पत्र के वैध होने और विज्ञापन दिनांक के पूर्व से ही मेरे स्थानीय निवासी होने के कारण मुझे पात्र सूची में रखने की कृपा करें।	विज्ञापन में कोरबा जिले हेतु केवल जिला का मूल निवासी ही पात्र है, आवेदिका के द्वारा या.स्वा.संयोजक (म) के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के तिथि 01.09.2020 के बाद निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन 02.09.2020 को तथा निवास प्रमाण पत्र में अनुमोदन दिनांक 15.09.2020 को है। जिसके अनुसार आवेदिका के पास आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 30.08.2020 को कोरबा जिले का निवास प्रमाण पत्र नहीं था।	अमान्य
7	AN2020003286	मनेश्वरी कुंभकार	संतोष कुमार	अल्का मंडल द्वारा ANM का एक वर्ष का Online अंक प्रस्तुत की थी जबकि दावा आपत्ति का समय मिला था अंक सुधार करने के लिये अतः आवेदक द्वारा नहीं सुधारा गया तथा सत्यापन के बाद अपात्र मान जाये आवेदन क. AN2020006344	आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ अंकसूची अपलोड नहीं की गई थी, इसलिये अंकों की पुष्टि नहीं की जा सकी थी तथा मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था।	अमान्य
8	AN2020003286	मनेश्वरी कुंभकार	संतोष कुमार	नीतु साहू आवेदन क्रमांक AN2020002687 द्वारा ANM का एक वर्ष का Online अंक प्रस्तुत की थी जबकि दावा आपत्ति का समय अंक को आवेदक द्वारा सुधारे नहीं गया था जो उसकी दस्तावेज अपूर्ण थी जो सत्यापन के समय अपात्र माना जाये।	आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ अंकसूची अपलोड नहीं की गई थी, इसलिये अंकों की पुष्टि नहीं की जा सकी थी तथा मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था।	अमान्य
9	AN2020003286	मनेश्वरी कुंभकार	संतोष कुमार	मेघा श्रीवास द्वारा ANM का एक वर्ष का Online अंक प्रस्तुत की थी जबकि दावा आपत्ति का समय मिला अंक को सुधारे करने के लिये लेकिन आवेदक द्वारा अंक नहीं सुधारा गया जो दस्तावेज अपूर्ण है उन्हे सत्यापन के बाद अपात्र माना जाये। (आ.क. AN2020009318)	आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ अंकसूची अपलोड नहीं की गई थी, इसलिये अंकों की पुष्टि नहीं की जा सकी थी तथा मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था।	अमान्य
10	AN2020003466	कु. श्वेता लकडा	श्री फिलिप लकडा	योगेश्वरी जांगडे द्वारा आवेदन क्रमांक AN2020000437 द्वारा ANM का एक वर्ष का Online अंक प्रस्तुत की थी जबकि दावा आपत्ति के समय अंक को आवेदक द्वारा सुधारा नहीं गया था जो उसकी दस्तावेज अपूर्ण थी जो सत्यापन के बाद अपात्र माना जावे।	आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ अंकसूची अपलोड नहीं की गई थी, इसलिये अंकों की पुष्टि नहीं की जा सकी थी तथा मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था।	अमान्य

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



11	AN2020003466	कु. श्वेता लकडा	श्री फिलिप लकडा	कौशिल्या कुमारी कश्यप, आवेदन क्रमांक AN2020003019 द्वारा ANM का एक वर्ष का Online अंक प्रस्तुत की थी जबकि दावा अपति के समय अंक को आवेदक द्वारा सुधारा नहीं गया था जो उसकी दस्तावेज अपूर्ण थी जो सत्यापन के बाद अपात्र माना जाये।	आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ अंकसूची अपलोड नहीं की गई थी, इसलिये अंकों की पुष्टि नहीं की जा सकी थी तथा मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था।	अमान्य	
12	AN2020003466	कु. श्वेता लकडा	श्री फिलिप लकडा	श्रुति कंवर, आवेदन क्रमांक AN2020007698 द्वारा श्रुति कंवर के तीन संतान है, सरकारी नियम के अनुसार तीन संतान वाले का पात्र न माना जाये।	आवेदिका श्रुति कंवर के तीन संतान संबंधी कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	अमान्य	